न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 05/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

—बनाम—

विजेश पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न. 06, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ——————सरकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 11.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 22.11.2016 को गैर सायल विजेश पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न. 06, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि विजेश पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न. 06, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा मण्डावा में एक गुट बनाकर जुआ—सटटा का धन्धा करता है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से कस्बा मण्डावा एवं आस—पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ सटटा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :

48
अति. जिला म[illegible]
झुंझुनूं

1. अभियोग संख्या 14/13 दिनांक 24.02.13 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 06/13 दिनांक 27.02.13 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.13 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 08/14 दिनांक 23.01.2014 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 20/14 दिनांक 07.04.14 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.01.14 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 103/14 दिनांक 07.02.14 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 113/14 दिनांक 16.11.10 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.12.14 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 200 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त विजेश पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न. 06, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 28.12.2016 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री इन्द्राज सिंह तत्कालीन एचसी 43, थाना मण्डावा, श्री सन्तुसिंह एचसी 21, थाना मण्डावा, व श्री चौथमल जाखड़, तत्कालीन थानाधिकारी थाना मण्डावा, व श्री दुर्गाप्रसाद एस.आई. एस.एच.ओ, थाना मण्डावा के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई। 18

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली, झुन्झुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 14/13 दिनांक 24.02.13 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 06/13 दिनांक 27.02.13 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.13 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

2. अभियोग संख्या 08/14 दिनांक 23.01.2014 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 20/14 दिनांक 07.04.14 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.01.14 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 103/14 दिनांक 07.02.14 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 113/14 दिनांक 16.11.10 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.12.14 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 200 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल विजेश पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न. 06, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना मण्डावा में अभियोग संख्या 14/13 दिनांक 24.02.13 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 08/14 दिनांक 23.01.2014 धारा 13 आरपीजीओ व अभियोग संख्या 103/14 दिनांक 07.02.14 धारा 13 आरपीजीओ में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें सिविल न्यायालय ने दिनांक 28.02.13 व 29.01.14 को 100-100/-रूपये तथा 15.12.14 को गैरसायल विजेश पुत्र सत्यनारायण को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर 200/-रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल विजेश पुत्र सत्यनारायण राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज0 गुण्डा अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नही है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध

18

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

साक्ष्य/संबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान. माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल विजेश पुत्र सत्यनारायण को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल विजेश पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न. 06, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ाा) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल विजेश पुत्र सत्यनारायण उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहाँ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना मण्डावा को देंगे तथा थानाधिकारी थाना मण्डावा उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे । यह निर्णय दिनांक 11.03.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं